उत्तर प्रदेश सरकार
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग–2
संख्या-क0नि0-2-683/ग्यारह–9(165)/08–उ0प्र0अधि0–5–2008–आदेश–(116)–2014
लखनऊ, दिनांकः 10 जुलाई, 2014

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश मूल्य सवंर्धित कर अधिनियम, 2008 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5, सन् 2008) की धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल, उक्त अधिनियम की अनुसूची–एक के स्तम्भ दो में दिनांक 11 जुलाई, 2014 से निम्नलिखित संशोधन करते हैं:–

संशोधन

उक्त अनुसूची–एक के स्तम्भ दो में, कम संख्या 36 की प्रविष्टि में, शब्द तथा अर्द्ध विराम "बेसन, जिसमें मटर से निर्मित बेसन सम्मिलित है;" के स्थान पर शब्द तथा अर्द्ध विराम "बेसन, जिसमें मटर से निर्मित बेसन सम्मिलित है; **मिड डे मील योजना के अन्तर्गत आपूर्त खाद्य पदार्थ** ;" रख दिये जायेंगे।

आज्ञा से,

(बीरेश कुमार)
प्रमुख सचिव।